

Endorse

संख्या - 3158/15-7-16 1548/1995

प्रेषक,

दी गयी है गोमुकी,
तंपुरा साध्य
उत्तरांश शासन ।

लेखा द्वा

तंपुरा
गोमुकी साध्यमिक रिपोर्ट परिषद्
रिपोर्ट १२८ २ तंपुरा शासन
गोमुकी १५६८ नई दिल्ली ।

लिखा १७। अनुभाव

लड़नज़ा: दिनांक: ७ अक्टूबर, 1995

विषय:- महाराष्ट्रा च्योटिरांशु पुले पालिका द्वारा जमटोक प्रदम बाजीपुर तो शीर्ष
संघर्ष गया ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निषेज हुआ है कि महाराष्ट्रा ज्योति
रांशु पुले पालिका द्वारा जमटोक प्रदम बाजीपुर को सी०वी०सी०ध० नई दिल्ली ते
संघर्ष उठाने दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित विविधन्यों के
अपेक्षा जापाना नहीं है :-

- १। विद्युत वप की एचीडी सोलाइटी खा सम्प सम्प पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- २। विद्युतांशु की प्रवर्धन तमिति में रिपोर्ट निषेज द्वारा नाभित एक
तदृश दोगा ।
- ३। विद्युतांशु में कम से कम दत प्रतिकार रथान अनुसुप्तिपाति/अनुसुचित
करायाति के बद्दों के लिए तुरपित हैं और उनसे उत्तर प्रदेश
मान्यमानक रिपोर्ट परिवर्त द्वारा तंवरानित विद्युतांशुओं में विभिन्न
क्षेत्रों के लिए निर्धारित गुण होते हैं जिन गुण नहीं निया जायेगा ।
- ४। तंवरा द्वारा राज्य सरकार से बिसी अनुदान की मांग नहीं ही
जारीना और प्रति पूर्व में विद्युतांशु माध्यमिक रिपोर्ट परिषद् ने/
विभिन्न रिपोर्ट परिवर्त ते मान्यका प्राप्त है तथा विद्युतांशु की
तंवराना केंद्रीय माध्यमिक रिपोर्ट परिषद्/कोरिन कार टि ईडियन
स्कूल तटींजिले छर्जामिस्तन नई दिल्ली ते प्राप्त होती है तो उत
परोंहा परिषद्दों ते संघर्ष तंवरा प्राप्त होने की तिथि ते परिषद् ते
मान्यका तथा राज्य सरकार ते अनुदान त्वरित होना पस्त हो जायेगी ।
- ५। तंवरा अधिक स्वीकृततर कर्मांश्यों को राज्यांशु संवायला प्राप्त
रिपोर्ट तंवराओं ते कर्मांश्यों को अनुसन्ध वैलमानों तथा अन्य
भरती ते कम वैतनकान तथा अन्य भरती नहीं दिए जायेंगे ।
- ६। कर्मांश्यों की तेथा भरती बनाणी जायेगी और उन्हें तंवरा प्राप्त
अनुसन्ध उच्चतर माध्यमिक विद्युतांशुओं के कर्मांश्यों की अनुसन्ध
सेवा निरूपित एवं नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा तम्भ तम्भ पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तेंस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/विकासी में रहा जायेगा ।

19। उपर गतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना जोई परिवर्तन/संशीक्षण वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिवर्ष यह भी कोमा कि तेंस्था को तम्भता दिये जाने के पूर्व पहले निर्विधत दिया जाय कि -

11। विद्यालय में जारीरत तम्भता वर्षारियों को ऐसा झाजनादेश दिनांक 30-11-91 की व्यवस्थानुसार/मानकानुस्थ दिया जा रहा है तथा ऐसा दा मुख्यतान बैठ के माध्यम से किया जा रहा है ।

12। तेंस्था के भूमि/भवन पर उत्तरे विधिक स्वावित्व की विधत रपट है। भवन में जाव्यायकतानुस्थ निर्धारित माप के शिखण वा किंचन प्रयोग शाता व उन्हें व्यवस्था है ।

13। तेंस्था पर एक ही व्याकात/विवार/परिवार के सदस्यों का नियन्त्रण नहीं है ।

3- उक्त प्रतिवर्षों का अलन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तम्भ पर वाया जाता है तो तेंस्था द्वारा प्रतिवर्षों का अलन नहीं किया जा रहा है अबका पालन छरने में किसी प्रकार भी घुक पा विधिवत बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

मधुदीप,

जुहोर गाँउली
संपुर्णता समिक्षा ।

पृष्ठा 3158 || 1/15-7-1995 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुलनार्थ एवं जाव्यायक लायवार्डी हेतु प्रेषित :-

1- शिवा निकाल उत्तरा प्रदेश लखनऊ ।

2- झालीय उप शिवा निकाल वाराणसी ।

3- किंवा विद्यालय शिवीरक याचीपुर ।

4- निरीबद्ध आग्न भारतीय विद्यालय उडुगो लखनऊ ।

5- प्रधन्धक, महात्मा ज्ञानिराय फूले परिकाल रुक्म ज्यटीश्वर याचीपुर ।

जारा है,

जुहोर गाँउली । १०